

स्क्रिप कोड: <b>BANKINDIA</b>	स्क्रिप कोड: <b>532149</b>
उपाध्यक्ष - लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400 051.	उपाध्यक्ष - लिस्टिंग विभाग, बीएसई लिमिटेड, 25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया,

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत प्रकटीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची III, भाग ए के साथ पठित विनियम 30(4) के अनुपालन में, आपको सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार क्रमशः 1,86,750/- रुपये (एक लाख छियासी हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) और 1,22,000/- रुपये (एक लाख बाईस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है:

प्राधिकरण का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक	भारतीय रिज़र्व बैंक
की गई कार्रवाई या पारित आदेशों की प्रकृति और विवरण	आरबीआई ने रुपये 1,86,750/- (केवल एक लाख छियासी हजार सात सौ पचास रुपये) का जुर्माना लगाया	आरबीआई ने रुपये 1,22,000/- (केवल एक लाख 22 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया
निर्देश या आदेश की प्राप्ति की तिथि, जिसमें कोई अंतरिम या अन्तरिम आदेश, या प्राधिकरण से कोई अन्य संचार शामिल है।	25.09.2025	25.09.2025
किए गए या कथित तौर पर किए जाने वाले उल्लंघन/उल्लंघनों का विवरण	बांकुरा करेंसी चेस्ट के प्रेषण में कटे-फटे नोट और गंदे नोट पाए गए	बेहरामपुर करेंसी चेस्ट के प्रेषण में कटे-फटे नोट और गंदे नोट पाए गए
सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक रूप में परिमाणात्मक।	मामूली	मामूली

बैंक ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय किए हैं। साथ ही, आरबीआई द्वारा लगाए गए मौद्रिक जुर्माने का बैंक के वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

-हस्ताक्षर-

(राजेश वी. उपाध्या)  
कम्पनी सचिव